

**राजस्थान सरकार**  
**निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर**

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015  
(दूरभाष 0141-2740837, ईमेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- एफ-4(ई)(1)(6)पदस्थापन/2025/अलेसे-III/ 222

दिनांक:- 16-01-2026

**आदेश संख्या:- 408/2025-26**

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित कनिष्ठ लेखाकार भर्ती परीक्षा-2023 में चयनित कनिष्ठ लेखाकारों को विभागीय नियुक्ति आदेश दिनांक 24.09.2025 एवं दिनांक 03.12.2025 के द्वारा सम्बन्धित जिला कोषालय में प्रोविजनल आधार पर नियुक्ति प्रदान करते हुए संस्थानिक प्रशिक्षण में उपस्थिति देने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त आदेशों की निरन्तरता में कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 04 के अनुसार विभागों/कार्यालयों में कनिष्ठ लेखाकार/सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II के रिक्त पदों पर पदस्थापन किया जाता है:-

S. NO.	ROLL NO	CANDIDATE NAME	POSTING PLACE
1	2	3	4
1.	740121	NARPAT CHOUDHARY	CMHO II, MEDICAL AND HEALTH, JODHPUR
2.	764459	ANKIT KUMAR	JOINT. DIRECTOR, EDUCATION (SECONDARY), BIKANER
3.	772869	SUBHASH	TREASURY OFFICER, TREASURIES AND ACCOUNTS, BALOTRA


**नोट:-** 1. संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष यह सुनिश्चित करावें कि नवनियुक्त कनिष्ठ लेखाकारों को अधीनस्थ लेखा सेवा के कनिष्ठतम पद पर आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करवाते हुए पूर्व में पदस्थापित अधीनस्थ लेखा सेवा के कार्मिक को उनके पद अनुरूप अथवा आवश्यकता अनुसार वरिष्ठ पद पर कार्यग्रहण करवायें। साथ ही यह भी सुनिश्चित करावें कार्यालय में कनिष्ठ लेखाकार एवं सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II के दोनों रिक्त पदों पर नवनियुक्त कनिष्ठ लेखाकारों का पदस्थापन किया जाता है तो ऐसे सभी कार्मिकों को कार्यग्रहण करवाते हुए यथा आवश्यकतानुसार कार्य करवायें।

2. यदि किसी कार्यालय अथवा पदनाम में परिवर्तन हुआ है तो भी नवनियुक्त कनिष्ठ लेखाकार को कार्यग्रहण करवाते हुए नाम परिवर्तन की सूचना एवं कार्यग्रहण रिपोर्ट निदेशालय में भिजवायें।

3. उक्त आदेश पूर्व में जारी विभागीय नियुक्ति आदेशों दिनांक 24.09.2025 एवं 03.12.2025 की निरन्तरता में विभागों/कार्यालयों में पदस्थापन हेतु जारी किये जा रहे हैं। अतः उक्त आदेश की पालना में कार्यग्रहण हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता एवं कार्यग्रहणकाल (Joining Time) देय नहीं है।

4. अन्य शर्तें मूल नियुक्ति आदेश के अनुसार यथावत रहेंगी।

5. उक्त आदेश वित्त (राजस्व) विभाग की आई.डी. क्रमांक 252600014 दिनांक 13.01.2026 द्वारा प्राप्त स्वीकृति के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।


  
(संध्या शर्मा)  
निदेशक एवं पदेन  
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ-4(ई)(1)(6)पदस्थापन/2025/अलेसे-III/222

दिनांक:- 16-01-2026

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
5. संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....।
6. अतिरिक्त निदेशक/सहायक निदेशक, ह.च.मा. रीपा, जयपुर एवं क्षेत्रीय कार्यालयों उदयपुर/कोटा/बीकानेर/जोधपुर।
7. संबंधित कोषाधिकारी को प्रेषित कर लेख है कि कोषालय में पदस्थापित नवनियुक्त कनिष्ठ लेखाकारों को नवीन पदस्थापन कार्यालय हेतु शीघ्र कार्यमुक्त कर निदेशालय को अविलम्ब सूचना भिजवाएं।
8. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव महोदया।
9. संयुक्त निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
10. संबंधित नवनियुक्त कनिष्ठ लेखाकार सर्वश्री..... को निर्देशित किया जाता है कि कार्यमुक्त होने के उपरान्त नवीन पदस्थापन कार्यालय में यथा शीघ्र कार्यग्रहण कर, कार्यग्रहण की सूचना अविलम्ब निदेशालय में भिजवाएं।
11. रक्षित/निजी पत्रावली।

  
(सीमा कौशल)  
संयुक्त निदेशक(कार्मिक-II/III)